

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12268 / 2852

दिनांक :- 19-02-2019

कार्यालय आदेश

श्री विकेश मीणा [लिंक न.12268] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सचिव, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धन मण्डल जयपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 04-09-2018 तक 01 दिवस

कुल 01 दिवस

उक्त कुल 01 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री विकेश मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल रयाही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

19.2.19
(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12268 / 2852

दिनांक :- 19-02-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यालय सचिव, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धन मण्डल जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री विकेश मीणा [लिंक न. 12268] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सचिव, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धन मण्डल जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)